

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।
पत्रांक- 1300 / 14-1 दिनांक, मुजफ्फरनगर, 28/10/2020 ।

सेवा में,

अधीशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग
गाजियाबाद ।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में लक्सर-पुरकाजी मार्ग (नया एन0एच0-334ए) के कि0मी0-00 से 0.000 से 15.089 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 59 वृक्षों के पातन के संबंध में।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-343/11-सी0 दिनांक-14.08.2020 ।

FP/UP//ROAD/40150/2019

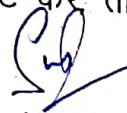
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्रम में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम - 1980 के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों में निम्नवत् नवीन प्रमाण-पत्र की अपेक्षा की गई है (संदर्भित पत्र संलग्न है)-

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।"

अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-343/11-सी0 दिनांक-14.08.2020 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार वांछित प्रमाण-पत्र 05 प्रतियों में इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- यथोपरि।



(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

066

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।
2. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ०प्र०।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उ०प्र०।

विषय:-

वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों में प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० शासन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्तावों में निर्गत विधिवत स्वीकृत आदेशों में प्रायः यह शर्त अधिरोपित की जा रही है कि "प्रश्नगत विधिवत स्वीकृति, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।"

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेंसी के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट सहित, वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अंतर्गत प्राविधानों/एक्टों/नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेखों को प्रस्तावों में संलग्न कर संस्तुति सहित सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक को प्रेषित किये जाते हैं। इसके पश्चात सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करते हैं। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति के आधार पर ही मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। प्रस्ताव में संलग्न किये गये समस्त अभिलेख प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ही उपलब्ध कराये जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी भी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर उत्तरदायी प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में जो भी प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किये जायें, उनमें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निम्नवत प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी हो, प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें। प्रमाण पत्र न होने की दशा में प्रस्ताव की हार्डकापी इस कार्यालय में स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रमाण-पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अंतर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।"

हस्ताक्षर

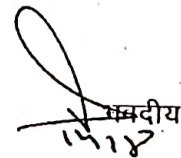
प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक,
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)

हस्ताक्षर

प्रयोक्ता एजेंसी के नामित प्रतिनिधि,
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)


पंकज मिश्र

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- ३५३ /११-सी, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।